कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **एसीबी राजस्थान की ओर से "इन्वेस्टीगेशन ऑफ डीए केसेसः ए कंप्रेहेंसिव एप्रोच इन दी लाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज" विषय पर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला**
- **भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में सशक्त अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन हैं महत्वपूर्ण– महानिदेशक, एसीबी**

जयपुर, 06 मार्च गुरूवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा गुरूवार को स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में "इन्वेस्टीगेशन ऑफ डीए केसेसः ए कंप्रेहेंसिव एप्रोच इन दी लाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि **महानिदेशक, एसीबी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा** और विशिष्ट अतिथि **श्री डी.सी. जैन,** सेवानिवृत्त डीजी द्वारा किया गया।

महानिदेशक एसीबी श्री मेहरड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आय से अधिक सम्पत्ति (Disproportionate Assets) मामलों पर विस्तार से चर्चा कर डीए केसेस की जांच को नए आपराधिक कानूनों के तहत अधिक प्रभावी बनाना और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करना है।

महानिदेशक ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं ब्यूरों के अधिकारियों को एक प्लेटफार्म पर नये कानून पर एक साथ चर्चा करने से प्रभावी ज्ञानवर्धन का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में आपसी समन्वय की भावना के साथ मजबूत अनुसंधान करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस कार्यशाला को अनुसंधान अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता मिलेंगी।

इस अवसर पर मुख्य वक्ताः श्री डी.सी. जैन सेवानिवृत्त डीजी ने पहले सत्र में– अंडरस्टैंडिग दी न्यूसेन्स इन्वॉल्वड इन दी इन्वेस्टीगेशन ऑफ डीए केसेस– विषय पर संबोधन में डीए मामलों की जांच के जटिल पहलुओं को समझने पर चर्चा की गई। श्री डी.सी. जैन ने संपत्ति की जांच, वित्तीय विश्लेषण और सबूतों की सत्यता सुनिश्चत करने के विभिन्न पहलुओ पर गहराई से प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र में श्री जैन ने

न्यू क्रिमिनल लॉज–2023– इट्स एप्लीकेबिलिटी इन ACB केसेस विषय पर कहा कि 2023 में लागू नए आपराधिक कानूनों और उनकी एसीबी मामलों में प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। श्री डी.सी. जैन ने बताया कि नए कानूनों के तहत अपराध सिद्ध करने की प्रक्रिया, साक्ष्यों का मूल्याकंन, और अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारियां केसे बदली हैं और एसीबी को इनसे कैसे लाभ मिल सकता है।

कार्यक्रम के तीसरे सत्र में ओपन हाउस डिस्कशन/वालेडिक्शन सेशन का आयोजन किया गया।

इस सत्र में खुले मंच का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने डीए मामलों की जांच से जुड़े अपने अनुभव और चुनौतियों का साझा किया। इस सत्र का उद्धेश्य बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करना था ताकि भ्रष्टचार विरोधी मामलों में सजा दर (Conviction Rate) को बढ़ाया जा सके।

कार्यशाला के अंत में श्री राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक एसीबी ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यशाला के महत्वपूर्ण निष्कर्षो पर प्रकाश डाला। उन्होनें कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए टीम वर्क, पारदर्शिता, और समन्वय अत्यंत आवश्यक हैं।

कार्यशाला की विशेषताएं और निष्कर्षः

कार्यशाला में अनुसंधान अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
2023 के नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच और अभियोजन के नए तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।
डीए मामलों में जांच की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु साक्ष्य संग्रह और कानूनी विश्लेषण के आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला गया।
भ्रष्टाचार निरोधक मामलों में सजा दर (Conviction Rate) बढ़ाने की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

इस अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के श्री कालूराम रावत उप महानिरीक्षक–प्रथम, श्री राजेश सिंह उप महानिरीक्षक तृतीय, श्री अनिल कयाल उप महानिरीक्षक–चतुर्थ एवं श्री शिवराज सिंह उप महानिरीक्षक कोटा रेंज, पुलिस अधीक्षक श्री प्यारेलाल शिवरान, वित्तिय सलाहकार श्री सांवरमल और एसीबी की सभी यूनिट्स में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा ब्यूरो के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।